सामूहिक विवाह सम्मेलन : अग्रवाल समाज की महत्ती आवश्यकता

जब वैवाहिक कुरीतियों पर विचार–विमर्श होता है तब दहेज की बात प्रमुखता से उभर कर सामने आती है। वैसे तो और भी कई बातें वैवाहिक परम्पराओं से जुड़ी हुई हैं और उनका अपना महत्व भी है जैसे विवाह के अवसर पर झूठे प्रर्दशन, आडम्बर तथा फालतू खर्चे इतने बढ़ गये हैं कि उनका निर्वाह करना आम आदमी के लिये बहुत कठिन गया है।

अग्रवाल समाज के विभिन्न घटकों में पिछले कई वर्षों से समाज सुधार हेतू कई योजनाऐ तथा नियम आदि बनाये गये, निश्चित ही जिनसे समाज में एक नई जागृति आई है लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ और नया किये जाने की संभावनाएं है। कई स्थानों पर समाज के उत्साही नवयुवकों ने पहल कर एक आदर्श विवाह पद्धति को अपनाने की चेष्टा की है लेकिन अक्सर लोग इस प्रकार के आदर्श विवाह को केवल साधनहीन व्यक्तियों या परिवारों की विवशता मानते है। इसीलिये जो परिवार आदर्श विवाह के लिये तैयार होते हैं उनमें एक प्रकार की हीनभावना आने लगती है और शायद इसीलिए आदर्श की बात तो बहुत लोग करते है परन्तु उसे मन से कम ही मानते है। प्रचलित विवाह प्रथा की अनेक कठिनाईयों तथा फिजूलखर्ची से परेशान होकर ही समाज में सामूहिक विवाह की परम्परा प्रारम्भ हुई जो आज अग्रवाल समाज की एक उपलब्धि है। प्रारम्भ में समाज के कुछ अग्रबंधुओं ने ही सोचा कि अनावश्यक व्यय न करके सादगी से एक ही स्थान पर एक से अधिक विवाह सम्पन्न किये जाये, जिससे कि धन, समय और शक्ति की बचत की जा सके तथा विवाह परम्परा को सामाजिक एकता के रूप में पुर्नस्थापित किया जा सके।

आज भी कई अग्रवाल बन्धुओं के मन में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने की पहल के संबंध में शंकाये है। अतः इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि ऐसे सम्मेलन विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित किये जाते है। इनमें उन सभी व्यक्तियों का आमंत्रित किया जाता है। जिनके लड़के/लड़कियों विवाह योग्य होते है तथा वे इस सामाजिक क्रांति के अभिनव आयोजन में भाग लेने वाले दोनों पक्षों को विवाह योग्य लड़के/लड़की के विषय में सम्पूर्ण जानकारियों पूर्व में ही प्राप्त होती है। तथा संबंध भी पूर्व निश्चित होते है। कहीं–कहीं आयोजन स्थल पर ही विवाह सम्बन्ध तय हो जाते हैं, इस तरह के तय होने वाले सम्बन्ध वहां पर पहुंचने वाले परिवारों तथा उपस्थित अन्य व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर शंकाओं के समाधान उपरांत होते हैं तत्पश्चात सम्मेलन में उपस्थित समस्त जोड़ों का वैदिक रीति से पाणिग्रहण संस्कार संपन्न कराया जाता है। जिसमें जातीय परंपराओं का भी पूर्ण पालन होता है। इन सम्मेलनों की विशेषता भी यही होती है कि न्यूनतम व्यय में विवाह संस्कार पूर्ण हो जाता है। विभिन्न संस्थायें अपनी–अपनी सामर्थ्यानुसार वर–वधु को लोकरीति का पालन करते हुये भेंट भी देती है।

वर्तमान समय में सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजनों से अनेक लाभ हैं। पहली बात तो यह है कि जो लोग धनाभाव के कारण अपनी कन्याओं के लिये योग्य वर की खोज भी नहीं कर पाते है, उन्हें ऐसे सम्मेलनो के माध्यम से एक ओर जहां योग्य लड़के मिल जाते हैं वहीं दूसरी ओर बहुत ही थोड़े खर्चे में विवाह सम्बन्ध हो जाते है।

दूसरे रिश्ता तय होने के पश्चात पृथक–पृथक आयोजनों में जो धन खर्च होता है वह एक ही स्थान पर सामूहिक आयोजन करने से बच जाता है। तीसरे इस प्रकार के सम्मेलनों में ऊंच–नीच तथा वर्ग भेद आदि की दीवारें भी ढह जाती हैं और व्यक्ति को एक दूसरे के आचरण को उसके सही परिप्रेक्ष्य में देखने का अवसर भी मिलता है। सामूहिक विवाह में अपने लड़के/लड़की का विवाह होने से हीन भावना भी पैदा नहीं होती है। इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजनों से सामाजिक संस्थाओं को भी व्यर्थ के आडम्बरों से हटकर ठोस सामाजिक कार्य करने की भी प्रेरणा मिलती है। इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे सम्मेलन सामाजिक एकता और संगठन की आधारशिला हाते हैं।

हालांकि वर्तमान समय में देश के अनेक राज्यों में सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजन होते रहते है लेकिन सामूहिक विवाह सम्मेलनों की उपयोगिता स्वतः सिद्ध होने पर इनके आयोजनों में कुछ कठिनाईयां भी आती है। जिन पर निश्चित ही गंभीरतापूर्वक विचार–विमर्श करना उचित होगा।

सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने में सबसे पहली कठिनाई तो यह होती है कि किसी भी स्थान पर पहली बार इस तरह के आयोजन करने से पूर्व उसकी सफलता के विषय में संदेह रहता है अतः इस तरह के संदेहों को दूर करने का सबसे सरल उपाय यह है कि सम्मेलन के आयोजन से पहले 'सामूहिक विवाह सम्मेलनों की आवश्यकता एवं उसकी उपयोगिता' जैसे विषयों पर अधिकाधिक जानकारी लोगों तक पहुंचना चाहिये तथा स्थानीय बंधुओं के साथ–साथ आसपास के क्षेत्र के बंधुओं के बीच खुले मन से चर्चाऐ कर सभी के विचार जानकर कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाना चाहिए।

सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजनों में अर्थव्यवस्था की परेशानियां भी आती हैं क्योंकि यदि किसी सम्मेलन में 25 जोड़ों के सामूहिक विवाह आयोजित किए गये हों तो तब उसकी व्यवस्थाओं में खर्चे भी उसी अनरूप करना होता है लेकिन जिस तरह एक–एक बूंद से घट भर जाता है उसी प्रकार क्षेत्र में रहने वाले बन्धुओं से आर्थिक सहायता ली जाना चाहिये। मध्यप्रदेश क्षेत्र में रहने वाले अग्रवाल बंधुओं के लिये यह गौरव की बात है कि सामूहिक विवाह सम्मेलनों की शुरुआत यहां से हुई है जो आज पूरे देश में अग्रवाल समाज की एक उपलब्धि है।

कैलाश मंगल, महामंत्री म.प्र. अग्रवाल महासभा